

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

पुत्र विरोधी का सतीप
9/8/18 ला-PSM

बनाम

खाता

किस्म मुकदमा दुस्ती

मुकदमा नं. 124

7/6/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/294 दिनांक <u>6/6/18</u> के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>7.P.S.</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>30PSB</u> की जमाबन्दी सम्वत् <u>2068-71</u> के खाता नं. <u>72-2962</u> में खातेदार <u>लोहलता डी सुगत</u> का <u>सतीप</u> अंकित है। जिसका नाम <u>पुत्र विरोधी</u> है। जिसकी <u>लोहलता डी सुगत</u> का <u>सतीप</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक <u>7/6/18</u> की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>30PSB</u> के खाता नं. <u>72-2962</u> में दर्ज खातेदार <u>लोहलता डी सुगत</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर
न्याय आप के द्वार-2018
कैम्प कोर्ट 7.P.S.
राजस्व अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर